LATEST

NEWS

Election

Date : 14th Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

राजस्थान पत्रिका

बारां, मंगलवार, 14.10.2025

लोकतंत्र मजबूत करेंगे, वोट करेंगे वोट करेंगे

बारां @ पत्रिका. नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में 11 नवंबर को अंता विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वोट चौपाल का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बड़वा मुख्यालय पर वोट चौपाल आयोजन के दौरान विकास अधिकारी राधेश्याम भील ने लोकतंत्र में एक वोट का महत्व बताते हुए निर्भीक होकर मतदान करने का संकल्प कराया। इस दौरान सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने निर्वाचन विभाग द्वारा जारी चारों ऑनलाइन एप के बारे में बताते हुए वोटर हेल्पलाइन एप द्वारा अपना पंजीकरण करने के साथ-साथ वोटर आईडी संबंधित विभिन्न कार्य करने की जानकारी दी, वहीं सी विजिल ऐप द्वारा राजनीतिक कदाचार की गतिविधियों की शिकायत निर्वाचन विभाग को ऑनलाइन कर 100 मिनट के अंदर उस पर कार्यवाही अपने नाम की गोपनीयता कायम रहते हुए प्राप्त करने की जानकारी दी गई है। केवाईसी ऐप द्वारा अपने क्षेत्र के चुनाव के उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई।

दिशा न्यूज
बारां, मंगलवार, 14.10.2025

अंता विधानसभा उपचुनाव की सूचना जारी

दिशा न्यूज। बारां.

रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम अंता हवाई सिंह यादव द्वारा सोमवार को विधानसभा क्षेत्र अंता में उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत 21 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विधानसभा उपचुनाव में 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जिनकी 23 अक्टूबर को संवीक्षा की जाएगी तथा 27 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके पश्चात अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात 11 अक्टूबर तक आवेदन करने वाले मतदाता चुनाव में मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सम्पूर्ण तैयारियां कर ली है। भयमुक्त वातावरण में मतदान के लिए पुलिस व सुरक्षा बलों का व्यापक बंदोबस्त सुनिश्चित किया जाएगा। मतदाता निर्दिष्ट फोटो पहचान पत्रों के माध्यम से संबंधित मतदान केन्द्रों पर मतदान कर सकेंगे। उपचुनाव के लिए प्रथम चरण का तीन दिवसीय प्रशिक्षण मंगलवार से प्रारंभ होगा। निर्वाचन ड्यूटी के लिए मतदान दल कार्मिकों सहित ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का पहला रेण्डमाईजेशन कर लिया गया है। सोमवार से ही स्टेटिक निगरानी दलों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। मतदाताओं की सुविधा, चुनाव प्रणाली की शुचिता, राजनीतिक दलों के साथ संवाद, प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग, मतदाता सूची और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कुल 29 नई पहलें की हैं। इसके तहत पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के मोबाईल फोन जमा करने के लिए काउंटर भी बनाया जाएगा। साथ ही पोलिंग बूथों से 100 मीटर की दूरी पर पॉलिटिकल पार्टी व अभ्यर्थियों के बूथ लगाए जा सकेंगे।

दिशा न्यूज
बारां, मंगलवार, 14.10.2025

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के लिए अधिसूचना जारी

नामांकन प्रक्रिया शुरू, 11 नवम्बर को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा

पहले दिन 1 नामांकन पत्र दाखिल, स्टेटिक सर्विलांस टीम एवं उड़न दस्ते की तैनाती

दिशा न्यूज। बारां.

भारत निर्वाचन आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अंता विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार 13 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। पहले दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। नामांकन-पत्र अंता के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 19 अक्टूबर एवं 20 अक्टूबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन-पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 23 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख सोमवार 27 अक्टूबर तय की गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए आवश्यक होने पर मतदान 11 नवम्बर को होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे संपन्न होगी। 14 नवम्बर को मतों की गिनती की जाएगी। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, उपचुनाव की समस्त प्रक्रिया 16 नवम्बर तक पूरी होगी।

नामांकन के लिए आवश्यक– महाजन ने बताया कि नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक अभ्यर्थी केवल 3 वाहनों के साथ प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ नामांकन-पत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

स्टेटिक सर्विलांस टीम एवं उडन दस्ते की तैनाती– मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने बताया कि अंता विधान सभा उपचुनाव-2025 की निगरानी के लिए 12 स्टेटिक सर्विलांस टीम और 12 उड़न दस्ते तैनात किए हैं। क्षेत्र में चौक पोस्टों का निर्माण कर दिया गया है, जहाँ एसएसटी (स्थैतिक निगरानी दल) दलों द्वारा वाहनों की सतत चैकिंग की जा रही है। उड़न दस्तों द्वारा भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं अवैध गतिविधियों की शिकायत पर तत्काल संबंधित स्थल पर जाकर कार्यवाही की जा रही है। व्यय अनुवीक्षण तंत्र द्वारा राजनैतिक दलो एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार एवं अन्य गतिविधियों पर किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यय पर सघन निगरानी रखी जा रही है। अब तक लगभग 35 लाख रूपए की जब्ती की जा चुकी है।